

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद,
THE GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL

**मुख्य कार्यालय:- टॉवर-ए, ए.डब्ल्यू.-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स,
बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051. (भारत).
Head Office:- Tower – A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051. (India)**

फोन/Tel- 91-22-26544600, फेक्स/Fax- 91-22-26524764.

ई-मेल / E-mail: gjepec@vsnl.com / ho@gjepecindia.com

वेबसाइट / Website: <http://www.gjepec.org>

जीजेसी/हिंदी/हिं.अ.नि.2016-2017/ ०६०९

तारीख. 22-10-2016

-: निविदा :-

सूचित किया जाता है कि जेम्स एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल (रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद), केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्तता प्राप्त संस्थान है। यह संस्थान देश में निर्मित व पॉलिश किये गए हीरे, रत्न तथा कीमती धातुओं के आभूषणों के संवर्धन के लिए काम करती है। देश की अर्थ-व्यवस्था में इस सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है तथा इस संस्थान का कार्यालयीन तथा सरकारी कामकाज अंग्रेजी तथा हिन्दी में किया जाता है।

परिषद की आवश्यकतानुसार विभिन्न लेखन कार्य तथा वेबसाइट जो की अंग्रेजी में हैं, उसे हिन्दी में अनुवाद कराना है। इसके लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। आप अपना प्रस्ताव बंद लिफाफे में मंगलवार 15 नवम्बर 2016 तक या इससे पहले परिषद के प्रमुख कार्यालय के निर्देशित पते तथा विभाग को भेज सकते हैं।

नियम-

इच्छुक अनुवादक कंपनी या व्यक्ती अपनी योग्यता को प्रमाणित करने के लिए अपने कार्य का प्रोफाइल बंद लिफाफे में भेजे।

अनुवाद को इस उद्योग से संबंधित तकनीकी भाषा का भी ग्यान होना आवश्यक है क्योंकि अनुवाद कार्य में तकनीकी भाषा का भी प्रयोग अवश्यभावी है।

इस कार्य के लिए अनुवादक कंपनी या व्यक्ती को स्थायी या पैकेज के आधार पर भी अनुबन्धित किया जा सकता है। (जो भी परिषद के लिए उपयुक्त समझा जाएगा।)

बेबसाइट पर उपलब्ध विवरण स्थायी और दैनिक रिपोर्ट के आधार पर हैं। अतः बेबसाइट का अवलोकन कर फिक्स(स्थायी) सामग्री का कुल परिश्रमिक कितना होगा उसका विवरण अलग, तथा दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली सामग्री का अनुवाद का खर्च विवरण अलग से देने का कष्ट करें।

वेब साईट में दैनिक आधार की सामग्री के अनुवाद के समय-सीमा का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें।

परिषद की वेबसाईट <http://www.giepc.org> है। जिसे आप जांच कर मंगलवार 15 नवम्बर 2016 तक या इससे पहले हमें सूचित कर सकते हैं।

निविदा से संबंधित सारे निर्णय परिषद के अधीन सुरक्षित रहेंगे।

परिषद का कोई भी लेखन कार्य अनुबन्ध के अनुसार करना आवश्यक होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अनुबन्ध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने के सारे अधिकार का उपयोग परिषद के पास सुरक्षित है।

नोट:- आवेदक अपनी निविदा के लिफाफे पर विशेष तौर से “अनुवाद कार्य के लिए बंद लिफाफे में निविदा को संबंधित विभाग या अधिकारी ही खोले।” अवश्य लिखें।

संदीप शर्मा

संदीप शर्मा

प्रमुख वित्त अधिकारी.